भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 792
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

बेरोजगार युवा

792. **श्री जुगल किशोर शर्माः**
श्रीमती गीता कोडाः
श्री देवजी पटेलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने झारखंड और जम्मू-कश्मीर राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार युवाओं में बेरोजगारी कम करने के लिए किसी प्रकार के परामर्श केंद्र खोलने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सहित देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि कई राज्यों में स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त 55.75 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष 15-29 आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 17.3%, 15.0% एवं 12.9% थी, जो युवाओं के मध्य बेरोजगारी दर की गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष 15-29 आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) झारखंड और जम्मू कश्मीर में क्रमशः 7.9% एवं 18.3% थी।

राजस्थान में, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर 2018-19 में 16.6% की तुलना में 2020-21 के दौरान घटकर 13.4% हो गई है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर राज्य-वार/संघ राज्य-वार वर्ष 15-29 आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध में दी गई है।

उपलब्ध नवीनंतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर विभिन्न शैक्षिक स्तर के वर्ष 15-29 आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार हैः

शिक्षा का स्तर	**बेरोजगारी दर (%)**
निरक्षर	3.6
साक्षर और प्राथमिक तक	5.6
मीडिल	6.4
स्कैण्डरी	9.7
हायर स्कैण्डरी	12.8
स्नातक	30.4
पोस्ट ग्रेजुएट और उससे अधिक	29.8
स्कैण्डरी और उससे अधिक	19.4
डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स	24.1
योग	**12.9**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म [**www.ncs.gov.in**] के माध्यम से नौकरी की तलाश और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि जैसी विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना लागू की गई है। एनसीएस परियोजना में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य संस्थानों के सहयोग से आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना भी शामिल है, ताकि करियर परामर्श/व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने, रोजगार मेले आयोजित करने, आउटरीच गतिविधियों आदि जैसी विभिन्न करियर संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें। अभी तक, 377 एमसीसी (7 गैर-वित्त पोषित एमसीसी सहित) की स्वीकृति दे दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत 4,378 करोड़ रुपए की राशि के 37.68 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 15.56 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.76 करोड़ ऋण संवितरित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 12.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 792 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बेरोजगारी दर (यूआर)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	आंध्र प्रदेश	18.9	17.1	15.3
2	अरुणाचल प्रदेश	33.1	23.8	21.9
3	असम	23.5	27.5	16.1
4	बिहार	30.9	17.6	17.0
5	छत्तीसगढ	9.0	10.1	7.5
6	दिल्ली	22.5	22.5	15.9
7	गोवा	24.2	25.1	25.8
8	गुजरात	8.4	5.8	5.5
9	हरियाणा	22.1	17.6	15.3
10	हिमाचल प्रदेश	18.8	13.0	12.8
11	झारखंड	14.0	11.6	7.9
12	कर्नाटक	11.8	14.1	8.8
13	केरल	35.2	35.4	33.7
14	मध्य प्रदेश	10.4	8.4	5.6
15	महाराष्ट्र	14.9	10.6	11.6
16	मणिपुर	32.8	33.1	21.8
17	मेघालय	8.9	8.9	5.3
18	मिजोरम	23.1	20.2	14.4
19	नागालैंड	59.6	70.1	55.2
20	ओडिशा	22.8	19.6	16.9
21	पंजाब	21.0	18.7	18.8
22	राजस्थान	16.6	13.1	13.4
23	सिक्किम	10.7	7.2	4.4
24	तमिलनाडु	24.0	20.9	20.4
25	तेलंगाना	27.4	24.2	16.1
26	त्रिपुरा	30.7	10.8	12.1
27	उत्तराखंड	23.5	19.7	21.0
28	उत्तर प्रदेश	15.0	12.6	11.6
29	पश्चिम बंगाल	11.1	14.2	11.1
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33.9	34.2	26.3
31	चंडीगढ़	18.2	12.3	16.5
32	दादरा और नगर हवेली	3.7	6.1	12.1
33	दमन और दीव	0.1	6.2	
34	जम्मू और कश्मीर	13.8	18.3	18.3
35	लद्दाख	-	0.0	42.3
36	लक्षद्वीप	70.3	36.2	47.6
37	पुदुचेरी	25.1	28.7	25.6
अखिल भारत		**17.3**	**15.0**	**12.9**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई